न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 17/2018 (2018/00156)

1. सुरजमल पुत्र श्री हीरा
2. सुगनचन्द पुत्र श्री हीरा
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उगमाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मगरा, तहसील व जिला अजमेर। ....**अपीलान्ट्स**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार अरडका तहसील व जिला अजमेर।

.... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान — अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :– 21.11.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2074 में अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम मगरा तहसील अजमेर व जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 797 रकबा 0–03 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता मे से 0–01 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से तारबंदी से रास्ता बन्द किया गया। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार अरडका द्वारा अतिकमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 15/2017 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.12.2017 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिकमियों की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 29.12.2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात पर पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा अभी हाल ही में वर्किंग नक्शा ट्रेस से आधारभूत नक्शा ट्रेस मुर्तिब करते समय सहवन से त्रूटिवश प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात एवं उनके पडौसी खातेदार गोपाल सिंह एवं रघुनाथ सिंह की खातेदारी के मध्य में से अनावश्यक रूप से रास्ते का अंकन कर इसके आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण द्वारा इसका जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रस्तुति पर सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों द्वारा आगामी पेशी तत्समय नहीं बताकर बाद में फोन के द्वारा बताये जाने को कहा गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक तौर पर उसी दिन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई। अभी हाल ही में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली के नोटिस दिये जाने पर प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी हुई। अभिभाषक से विधिक राय प्राप्त कर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 06.04.2018 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 12.4.2018 को प्रति उपलब्ध करवाई गई। तत्पश्चात आवश्यक फीस आदि की व्यवस्था कर दिनांक 18.4.2018 को अभिभाषक से मिलकर अपील तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सदभाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। बहस अपील सुनी गई।

वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस पर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रोसिडिंग पर हस्ताक्षर करवा कर आगामी पेशी फोन से अवगत कराने हेतु कहा गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करे बिना जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है। राजस्व रेकार्ड में खसरा नं0 797 बाबत रास्ते का अंकन पहले नहीं था वर्किंग नक्शें में रास्ते का अंकन भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया। मौके पर रास्ता नहीं है। जिस जगह रास्ता दर्शाया गया है वहाँ कुएँ से निकाला हुआ मलबे का ढेर लगभग 100 वर्षो से पडा है। जिस पर 70–80 साल पुराना पेड खडा हुआ है। उक्त ढेर एवं पेड पर से रास्ता मुर्तिब किया जाना संभव नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण किये बिना सरसरी तौर पर प्रश्नगत खसरा बाबत उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रश्नगत आराजीयात अपीलान्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात है जिस पर अपीलान्ट्स पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्ट्स का अतिक्रमण किसी भी प्रकार से साबित नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 29.12.2017 प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 निरस्त फरमाया जाकर बन्दोबस्त विभाग द्वारा आधार नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 796, 795, 794 तथा खसरा संख्या 798, 808, 809 के मध्य गैर कानूनी रूप से दर्शित रास्ता, आधार नक्शा ट्रेस से तर्क किया जाकर खसरा नं0 797 रकबा 0.3 हैक्टर अपीलान्ट्स की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय (रास्ता) भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक (रास्ता)दर्ज है। राजकीय/रास्ता भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरुप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.11..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner